

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- (1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
- (2) समस्त जिला पूर्ति अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक 21 अप्रैल, 2017

विषय:-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दुकानों के आवंटन में लाटरी निकालने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2715/29-6-2002-162सा/2001, दिनांक 17-08-2002 द्वारा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में उचित दर दुकानों के आवंटन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया था। शासन के संज्ञान में विभिन्न स्रोतों से यह जिज्ञासा की जा रही है कि नये परिसीमन के पश्चात अस्तित्व में आयी नई ग्राम पंचायतों में उचित दर विक्रेता नियुक्त करने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 17-08-2002 में कोई व्यवस्था नहीं है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बाराबंकी में इसी तरह के प्रकरण में शासनादेश संख्या-1820/29-6-2016, दिनांक 06-09-2016 जो जिलाधिकारी, बाराबंकी को सम्बोधित एवं आयुक्त, खाद्य एवं रसद को पृष्ठांकित है द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि "उचित दर विक्रेता की दुकान के अनुबन्ध पत्र में उल्लिखित चौहददी जिस ग्राम पंचायत में अवस्थित है, उसे उसी ग्राम पंचायत का उचित दर विक्रेता माना जायेगा।" अतएव कृपया उपरोक्तानुसार ही कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या- (1)29-6-2017 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, 30प्र0।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0।
- 3- समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, 30प्र0।
- 4- समस्त संयुक्त आयुक्त (खाद्य)/उपायुक्त (खाद्य), 30प्र0।
- 5- समस्त जिला खाद्य विपणन अधिकारी, 30प्र0।
- 6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

<http://shasanadesh.up.nic.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।